

03/01/2024 पताबली पेटा हुई वकील शर्मा उषा वकील अश्विनी  
के बकालतनाम, व जवाब शर्मा पता पेटा किने जो  
शामिल पताबली किने गया। पताबली वारंट बरक  
दिनांक 12/01/24 के पेटा है। बिरा

12/01/24 आज श्री... एम  
साहब अम  
पेशी...  
नारीख 12/01/24 पेशी है।

19/01/2024 पताबली पेटा हुई। वकील शर्मा उषा वकील अश्विनी  
बरक बुनी गई। पताबली वारंट शरद, दिनांक 07/01/24  
के पेटा है। बिरा

07/02/2024 पताबली पेटा हुई सहायता के कारण शरद किने व  
रुनाथ नही जा सका। पताबली वारंट पुनः बरक  
दिनांक 06/02/24 के पेटा है। बिरा

06/02/2024 आज श्री... एम  
साहब अम  
पेशी...  
नारीख 06/02/24 पेशी है।

26/02/2024 पताबली पेटा हुई वकील अश्विनी  
के फॉर्म नम्बर 3 के साथ दस्तावेज पेटा किने जो  
शामिल पताबली किने गए। वकील अश्विनी  
बुनी गई। पताबली वारंट शरद, दिनांक 29/02/24  
के पेटा है। बिरा

06/03/2024 आज श्री... एम  
साहब अम  
पेशी...  
नारीख 06/03/24 पेशी है।

15/10/2024 पताबली पेटा हुई वकील शर्मा उषा पताबली वारंट  
बरक दिनांक 22/10/2024 के पेटा है। बिरा

22/10/2024 पताबली आज पेटा हुई उषा पत्र वकील अश्विनी।  
वकील अश्विनी ने फॉर्म दस्तावेज पेश किये जिन्हे  
शामिल मिसल किया गया। उषा पत्र वकील अश्विनी  
सुनी गयी। उषा पत्र वकील अश्विनी एवं पताबली

ख म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
--------	-----------------------------------	--

में उपलब्ध रस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय शक्ति प्राप्ति के पक्ष में सिंह होते हैं। अतः प्राप्ति का उत्पन्न-पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 19.06.2023 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक बर्कत किया जाता है। पत्रवली फैसल बुमार लेकर दर्ज नम्बर से कम लेकर वाद तकमिल दाखिल हफ्तर है।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-बजलास सुनाया गया।



.....  
 सहायक कलेक्टर  
 बाप (फलोदी)